कार्यालय
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानीसेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 3790 /जी– 331/2025–26 दिनांक– 02 अगस्त 2025

संशोधित विज्ञप्ति

शासन के पत्र संख्या–1403/XL-I/2025-89/2024 दिनांक–25 जून 2025 के क्रम मे आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग उत्तराखण्ड के अधीन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक परिचारिका (स्टाफ नर्स) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1469/जी–331/2023–24 दिनांक–07 जून 2024 के द्वारा जारी विज्ञप्ति को सम्यक विचारोपरान्त निरस्त करते हुये उत्तराखण्ड शासन, आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग के अधिसूचना संख्या–2637/XXXX/2015-36/2014 दिनांक–27 नवम्बर 2015 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक परिचारिका सेवा नियमावली 2015"** में निहित प्राविधानों के अनुसार **आयुर्वेदिक परिचारिका (स्टॉफ नर्स)** के (वेतन मैट्रिक्सरू0 9300–34800 लेबल–7) रिक्त 14 पदों पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र महिला अभ्यर्थियों से आवेदन प्रपत्र निम्न निर्धारित प्रारूप पर आंमत्रित किये जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

रिक्त पदों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति (संशोधित विवरण) :–

विज्ञापित पदों का विवरण	पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण							कुल क्षैतिज आरक्षण	ओपन कैटेगिरी
		महिला (30%)	दिव्यांगजन ओ0ए0, ओ0ए0 श्रेणी (4%)	भूतपूर्व सैनिक (5%)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (2%)	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे (5%)	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी (10%)	उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ी (4%)		
अनु0जाति–	03	–	–	–	–	–	–	–	–	03
अनु0 जनजाति–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	01
अन्य पिछड़ा वर्ग–	02	–	–	–	–	–	–	–	–	02
सामान्य–	07	–	–	–	–	–	–	–	–	07
सामान्य–EWS	01	–	–	–	–	–	–	–	–	01
योग–	14	–	–	–	–	–	–	–	–	14

विज्ञापित पदों की संख्या घट–बढ सकती है।

(2) **आरक्षण** :– उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(3)**अर्हतायें** :– "उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक परिचारिका सेवा नियमावली 2015" के भाग–4 के अनुसार समस्त अर्हतायें पूर्ण होनी चाहिये।

(अनिवार्य अर्हतायें)

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उतीर्ण की हो।

02/08/25

(ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में **"आयुर्वेदिक परिचारिका"** का 3 वर्ष 6 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

(ग) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

अधिमानी अर्हतायें–

(i) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या

(ii) नेशनल कैडिट कोर का "बी" या उच्चतर प्रमाण – पत्र प्राप्त किया हो या

(iii) राष्ट्रीय सेवायोजन का "सी" प्रमाण – पत्र प्राप्त किया हो।

(4) **आयु** :– दिनांक 01 जनवरी, 2024 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, को शासकीय नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

(5) **शुल्क** :– आवेदन पत्र के साथ सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 150/– का बैंक चालान लेखाशीर्षक 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800– अन्य प्राप्तियाँ, 10–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ आयुर्वेदिक के शीर्षक में जमा होगा, आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है। बिना बैंक चालान के आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी।

(6) **चयन प्रक्रिया** :– उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग के पत्र संख्या– 2637/XXXX/2015-36/2014 दिनांक–27 नवम्बर 2015 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक परिचारिका सेवा नियमावली 2015"** में निहित प्राविधानों के अनुसार चयन, समिति के माध्यम से किया जायेगा।

(7) **आवेदन पत्र जमा करने की तिथि** :– निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र " **निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड़, निकट आई0टी0 पार्क, देहरादून**" के कार्यालय में **दिनांक–20 अगस्त 2025 तक** प्राप्त किये जायेगें। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से स्वीकार किये जायेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् डाक वितरण में विलम्ब या किसी कारण से विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

(8) जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(9)अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करना भी अनिवार्य है–

1. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)।
2. हाई–स्कूल/इण्टरमीडियट प्रमाण–पत्र एवं अंक तालिका।
3. "उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक परिचारिका (स्टॉफ नर्स) प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र एवं अंक तालिका।
4. भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र।
6. उत्तराखण्ड राज्य के रोजगार/सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
7. दो चरित्र प्रमाण–पत्र (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)।
8. निर्धारित शुल्क का बैंक चालान मूल रूप में।
9. स्वयं पता लिखा 23X10 से0मी0 के दो लिफाफे जिनमें पंजीकृत डाक टिकट लगें हों।
10. अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र यदि कोई हों तो।

02/08/25

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक